

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2022/

1345

दिनांक

21/06/2022

अनवान :-

प्रार्थीगण

बनाम

विप्रार्थीगण

पेमा वगैरा

बनाम

जगमाल वगैरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम  
वास्ते करने नेखमबंदी बाबत ।

राजस्व आवेदन सं. 37/2022

दिनांक : 20.06.2022

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र सणाऊ के मौजा भादूपुरा के खेत खसरा सं. 113/69 रकबा 18.1704 हैक्टेयर, खसरा सं. 70 रकबा 17.9842 हैक्टेयर एवम मौजा भारियों की बस्ती के खेत खसरा सं. 84 रकबा 14.8924 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करें।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2022/ 1346 to 1349

प्रतिनिधि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थीगण पेमा वगैरा
3. विप्रार्थीगण जगमाल वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/धौरीमन्ना

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी

दिनांक

चौहटन

21/06/2022



(भागीरथ राम II)

उपखण्ड अधिकारी

चौहटन

चौहटन